

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत..... 112/143 कोर्ट (19) मुकाम..... कापूर

बनाम..... देवेन्द्र कुमार वर्मा

किस्म मुकदमा..... 111/128 नं. 25/20 सप्.

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/02/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री सुरेश कुमार</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111/128 R.R.</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मान तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/03/2020 को पेश हो।</p>	
18/03/2020	<p>प्रार्थी व वकील उपरोक्त/विप्राथी/वादी के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवाफे गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। विप्राथी संख्या-16 की कोर्ट में वकील श्री नरपत खन्ड डाटा व डाल्यातमक पर विप्राथी गण्य जिसे शामिल पत्रावली विप्राथी गण्य/विप्राथी संख्या-14 व 15 की कोर्ट में वकील श्री नरपत खन्ड डाटा कोर्ट के विप्राथी ली गई। अतः प्रमाण्य पीठवाली अधिकारी द्वारा प्रार्थी के व्याप्य होने के सिवाय इलतव है। आगामी दिनांक 28/05/2020 को पेश हो।</p>	<p>12.2.2020</p> <p>विप्राथी संख्या 14 व 15 की कोर्ट के अहकाम (18/02/2020) (नरपत खन्ड)</p>
28/05/2020	<p>पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/05/2020 को पेश हो।</p>	

26/08/2020

पत्रावली संख्या पेश हुई। वकुलाप
पीटासीन जांच के लिए पेश है। मिसल
दिनांक 18/11/2020 का
पेश हो।

18/11/2020

पत्रावली संख्या पेश हुई। वकुलाप
पीटासीन जांच के लिए पेश है। मिसल
दिनांक 22/02/21 का
पेश हो।

22/02/2021

पत्रावली संख्या परिकेन उपस्थित
पीटासीन जांच के लिए पेश है। मिसल
अतः पत्रावली संख्या दिनांक 02/06/2021
श्री पेश हो।

02/06/2021

पत्रावली संख्या परिकेन उपस्थित
पीटासीन जांच के लिए पेश है। मिसल
अतः पत्रावली संख्या दिनांक 14/10/2021
श्री पेश हो।

14/10/2021

पत्रावली संख्या - 14 व 16 के कब्रिस्तान
उपस्थित। पत्रावली संख्या - 16 श्री श्री के जवाब
के पत्रावली संख्या - 14 व 15 श्री श्री के कब्रिस्तान
के जवाब पेश नहीं किया गया, कब्रिस्तान पेश करना
चाहते हैं सीमांत पीठासीन अधिकारी उवाकन जैविक
के संग्रह अभिमान-2021 सुझावों के पत्रावली होने के
मिसल इत्यादि होकर आगामी दिनांक 26/04/2022
श्री पेश हो।

ख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

26/04/2022

प्राथी व विप्राथी संख्या - 14 व 16
 के वहील उपरिपत्र / विप्राथी संख्या - 16 की
 ओर से जवाब फेर नहीं किया गया पूर्व
 में उपांत मजदूर दिमें गये, प्रमति अथवा
 दिमें जाने के उपरान्त भी जवाब फेर नहीं
 करने पर विप्राथी संख्या - 16 का जवाब कन
 किया जाता है व विप्राथी संख्या - 14 व 15 की
 ओर से पूर्व में मजदूर रेविंग ली गई परन्तु
 पडालगतनाम फेर नहीं किया गया जिसे
 विरुद्ध एडवोकेट डार्मकाठी अमल में लाई जाती
 है वीष विप्राथीगणों के नोटिफिकेशन में
 जरिमे रजिस्टर्ड एडी मिजवाफे गये जिनकी
 डिप्लेक्ट रमिते प्राथी अधिकतर डार फेर
 की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया
 विप्राथी संख्या - 1 व 13 व 17 व 19 एवं
 या उनही ओर से कोई अधिकतर उपरिपत्र
 नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एडवोकेट
 डार्मकाठी अमल में लाई जाती है अतः
 वाले वहाल पत्रावली दिनांक 09/06/2022
 को फेर है। म

उपरोक्त हुक्म
 जारी है

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 949

दिनांक : 09/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. शंकरलाल पुत्र खेताराम,
जाति मेघवाल, निवासी मीठियातला,
पटवार मण्डल बायतु पनजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. देवेन्द्र कुमार पुत्र विरधाराम वगैरा 19,
जाति मेघवाल, निवासी मीठियातला,
पटवार मण्डल बायतु पनजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 25 / 2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - मीठिया तला, पटवार मण्डल - बायतु पनजी, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 998/365 रकबा 12.03 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 950-954

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री शंकरलाल पुत्र खेताराम,
4. विप्रार्थी श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र विरधाराम वगैरा 19,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 09/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर